राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4285 / 2022

सुशीला प्रजापत –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
4. प्रभारी, जनाना अस्पताल, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022
आदेश की दिनांक : 11.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर जनाना अस्पताल, झुंझुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र ताणूमानजी, बाडमेर 700 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृति में मात्र दो वर्ष छः माह शेष हैं। अपीलार्थी की सास 95 वर्षीय वृद्ध महिला है और अपीलार्थी के पति भी वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा कोई नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने से पूर्व पंचायती राज विभाग की कोई सहमति नहीं ली गई, जो राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) का उल्लंघन है तथा विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी के हक में उचित आदेश पारित करावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपील के इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश से पूर्व विभागीय आदेश दिनांक 05.02.2021 (अनुलग्नक–5) से जिला चिकित्सालय, झुन्झुनूं के अधीन महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पद पर किया गया है। अपीलार्थी का पद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) का है तथा उसका पूर्व में स्थानान्तरण ही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) के पद पर किया गया है जिसका तात्पर्य ही यह कि अपीलार्थी ए.एन. एम. के पद पर पदस्थापित नहीं की गई थी। अतः अपीलार्थी को ए.एन.एम. पद पर पदस्थापन स्वमेव ही अधिशेष हो जाता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय, झुन्झुनूं से होने के कारण राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम 2011 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.............................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य